27.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित, जिन्होने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आपत्ति करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त अपील को सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत पेशुआ द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिससे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मूल अपील को अपीलांट अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। अपील की फोटो प्रति पत्रावली में बतौर अभिलेख रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भँवर लाल)

जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner